अध्याय-I
प्रस्तावना

अध्याय-I

प्रस्तावना

1.1 बजट प्रोफाइल

राज्य में 29 विभाग और 42 स्वायत्त निकाय है। वर्ष 2012-17 के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमानों और उसके प्रति वास्तविक स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका-1.1: वर्ष 2012-17 के दौरान राज्य सरकार का बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17	
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएं	11,098	10,626	12,228	11,403	12,923	12,039	14,895	13,675	16,445	15,110
सामाजिक सेवाएं	6,921	6,908	7,096	7,896	9,114	8,501	11,416	11,331	13,028	11,564
आर्थिक सेवाएं	6,572	7,583	8,293	7,759	9,466	8,789	10,886	11,414	13,095	13,138
सहायता अनुदान[1] एवं अंशदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (1)	**24,591**	**25,117**	**27,617**	**27,058**	**31,503**	**29,329**	**37,197**	**36,420**	**42,568**	**39,812**
पूंजीगत व्यय										
पूंजीगत परिव्यय	8,863	5,224	7,308	4,507	10,221	5,134	12,685	7,331	16,904	8,286
संवितरित ऋण और अग्रिम	70	93	133	121	71	87	93	94	91	76
सार्वजनिक ऋण की चुकौती	1,317	1,343	1,231	1,297	8,412	1,518	8,812	10,815	15,367	17,023
आकस्मिक निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लोक लेखा संवितरण[2]	2,789	17,722	3,964	14,169	3,690	17,796	3,939	24,094	5,535	19,458
अंत नकद शेष	-	91	01	1,063	-	1,401	-	527	-	429
कुल (2)	**13,039**	**24,473**	**12,637**	**21,157**	**22,394**	**25,936**	**25,529**	**42,861**	**37,897**	**45,272**
कुल योग (1+2)	**37,630**	**49,590**	**40,254**	**48,215**	**53,897**	**55,265**	**62,726**	**79,281**	**80,465**	**85,084**

(स्रोत: राज्य सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण और वित्त लेखे)

1.2 राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य के कुल व्यय[3] में 2012-17 के दौरान ₹30,434 करोड़ से ₹48,174 करोड़ तक वृद्धि हुई थी, जबकि राजस्व व्यय में 2012-13 में ₹25,117 करोड़ से 2016-17 में ₹39,812 करोड़ तक 59 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वर्ष 2012-17 की अवधि के दौरान अनियोजित/ सामान्य राजस्व व्यय में ₹23,560 करोड़ से ₹37,812 करोड़ तक 60 प्रतिशत तक वृद्धि हुई और पूंजीगत व्यय में ₹5,224 करोड़ से ₹8,286 करोड़ तक 59 प्रतिशत तक वृद्धि हुई थी।

---

1 राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदान को उपरोक्त क्षेत्रों में शामिल किया गया है

2 वास्तविक में नकद शेष और विभागीय नकद शेष के निवेश संव्यवहारों को शामिल नहीं किया गया है

3 कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूंजीगत परिव्यय और ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण शामिल किए गए है

वर्ष 2012-17 के दौरान कुल व्यय में राजस्व व्यय का 83 से 85 प्रतिशत और पूंजीगत व्यय का 15 से 17 प्रतिशत शामिल था। इस अवधि के दौरान कुल व्यय में 11 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर पर वृद्धि हुई जबकि 2012-17 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में भी 11 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर पर बढ़ोतरी हुई।

1.3 निरंतर बचत

पिछले पांच वर्षों के दौरान 10 मामलों में प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक की और कुल अनुदान के 10 प्रतिशत या अधिक तक निरंतर बचत देखी गई जिसे नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-1.2: 2012-17 के दौरान निरंतर बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या और नाम	बचत राशि				
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व (दत्तमत)						
1.	**10-कानून**	62.01 (33)	65.28 (32)	97.04 (34)	102.19 (37)	154.81 (48)
2.	**11-उद्योग और वाणिज्य**	32.34 (15)	42.17 (18)	89.05 (33)	53.91 (19)	86.65 (28)
3.	**21-वन**	69.18 (14)	58.36 (11)	133.20 (21)	95.01 (14)	127.62 (18)
राजस्व (प्रभारित)						
4.	**10-कानून**	12.54 (39)	3.81 (14)	6.47 (22)	3.98 (13)	7.32 (21)
पूंजीगत (दत्तमत)						
5.	**06-विद्युत**	170.59 (26)	485.02 (56)	250.25 (64)	707.60 (70)	2177.61 (76)
6.	**12-कृषि**	122.09 (31)	159.06 (40)	222.70 (55)	179.63 (33)	634.82 (67)
7.	**17-स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा**	61.42 (19)	32.80 (12)	235.89 (53)	496.95 (67)	168.56 (28)
8.	**19-आवासीय एवं शहरी विकास**	235.05 (31)	672.87 (76)	568.44 (77)	220.61 (42)	394.59 (51)
9.	**25-श्रम, स्टेशनरी और प्रिंटिंग**	78.16 (98)	102.52 (98)	76.70 (98)	31.79 (29)	14.54 (13)
10.	**28-ग्रामीण विकास**	123.28 (30)	185.13 (48)	1104.58 (60)	496.79 (38)	798.19 (42)

(स्रोत: विनियोग लेखे)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल अनुदान का बचत प्रतिशत *दर्शाते हैं।*

राज्य सरकार द्वारा इन शीर्षों के अंतर्गत निरंतर बचतों के कारणों की सूचना नहीं दी गई थी (दिसंबर 2017)।

1.4 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित की गई निधियां

भारत सरकार ने वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य बजट में डाले बिना विभिन्न राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹628 करोड़ सीधे हस्तांतरित किए थे। इसके परिणामस्वरूप

यह राशि वर्ष के दौरान राज्य सरकार के वार्षिक लेखों (वित्त लेखे एवं विनियोजन लेखे) के दायरे से बाहर रह गई।

1.5 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान भारत सरकार (जीओआई) से प्राप्त सहायता अनुदान को नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-1.3: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
अनियोजित अनुदान	4,080	4,009	3,342	11,135	12,776
नियोजित योजनाओं हेतु अनुदान	10,274	9,834	12,807	5,593	7,822
कुल	**14,354**	**13,843**	**16,149**	**16,728**	**20,598**
पिछले वर्ष में वृद्धि/ कमी (-) की प्रतिशतता	(-) 1	(-) 4	17	4	23
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	55	51	56	47	49

भारत सरकार से प्राप्त कुल सहायता अनुदान में वर्ष 2012-17 के दौरान ₹14,354 करोड़ से ₹20,598 करोड़ तक वृद्धि हुई थी।

1.6 लेखापरीक्षा की योजना एवं निष्पादन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, योजनाओं/ परियोजनाओं के जोखिम निर्धारण के साथ शुरू होती है जिसमें कार्यकलापों की महत्त्वपूर्णता/ जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के स्तर, आंतरिक नियंत्रणों और हितधारकों की चिंताओं और पूर्व लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विचार किया जाता है। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की निरंतरता और सीमा पर निर्णय लिया जाता है और एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना बनाई जाती है।

लेखापरीक्षा पूरी होने के बाद लेखापरीक्षा निष्कर्षों वाली एक निरीक्षण रिपोर्ट एक माह में उत्तर देने के अनुरोध के साथ कार्यालय अध्यक्ष को जारी की जाती है। उत्तर प्राप्त होने पर या तो लेखापरीक्षा निष्कर्ष का निपटान कर दिया जाता है या अनुपालन हेतु अगली कार्रवाई का परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण रिपोर्टों में बताई गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु संसोधित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर सरकार के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जम्मू एवं कश्मीर के कार्यालय द्वारा 2016-17 के दौरान राज्य के 645 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों और 12 स्वायत्त निकायों की 126

इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा की गई थी। इसके अलावा, चार निष्पादन लेखापरीक्षाएं भी की गई थी।

1.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर सरकार की प्रतिक्रिया

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने चयनित विभागों में, आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता के साथ-साथ विभिन्न कार्यक्रमों/ कार्यकलापों के कार्यान्वयन में कई महत्त्वपूर्ण कमियों पर सूचना दी है जिनका विभागों के कार्यक्रमों एवं कार्यप्रणाली की सफलता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। नागरिकों के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने और सेवा सुपुर्दगी सुधारने के लिए कार्यकारी अधिकारी को उचित सिफारिशें देने के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों/ योजनाओं के लेखापरीक्षण पर ही पूरा ध्यान था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों को महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा विभाग के प्रधान सचिवों/ सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनके ध्यानाकर्षण और छह सप्ताह में उनकी प्रतिक्रिया भेजने का अनुरोध करने हेतु भेजा जाता है। विभागों/ सरकार से उत्तर प्राप्त न होने के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल ऐसे पैराग्राफों के अंत में निरपवाद रूप से दर्शाया जाता है। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु सामाजिक, सार्वजनिक एवं आर्थिक (गैर-पीएसयू) क्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित चार निष्पादन लेखापरीक्षाओं और 33 पैराग्राफों को संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/ सचिवों को भेजा गया था। इनमे से एक निष्पादन लेखापरीक्षा और 28 पैराग्राफों के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसंबर 2017)।

1.8 लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूलियां

राज्य सरकार के विभागों के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान सामने आई वसूलियों वाले लेखापरीक्षा निष्कर्षों को विभिन्न विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को लेखापरीक्षा हेतु सूचना के अंतर्गत पुष्टि एवं अगली आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया था। लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान बताई गई वसूलियों, जो विभाग द्वारा स्वीकार की गई एवं निष्पादित वसूलियों के ब्यौरे निम्नानुसार है:

तालिका-1.4: लेखापरीक्षा के आग्रह पर की गई वसूलियां दर्शाता विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग	2016-17 में बताई गई वसूलियां			2016-17 के दौरान स्वीकृत वसूलियां			2016-17 के दौरान की गई वसूलियां		
	लेखापरीक्षा रिपोर्ट	निरीक्षण रिपोर्ट	लेखापरीक्षा रिपोर्ट	निरीक्षण रिपोर्ट	लेखापरीक्षा रिपोर्ट	निरीक्षण रिपोर्ट	लेखापरीक्षा रिपोर्ट	निरीक्षण रिपोर्ट	कुल
सरकारी विभाग	5.48	145.60	151.08	5.48	143.05	148.53	शून्य	1.14	1.14
कुल	**5.48**	**145.60**	**151.08**	**5.48**	**143.05**	**148.53**	शून्य	**1.14**	**1.14**

1.9 लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

सरकार (वित्त विभाग) द्वारा जारी की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों/ निरीक्षण रिपोर्टों (आईआर) के शीघ्रता से निपटान हेतु अनुदेशों की हस्तपुस्तिका में निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए उपचारात्मक/ आशोधन कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा जारी आईआर पर कार्यकारी अधिकारी द्वारा शीघ्र उत्तर देने का प्रावधान किया गया है। कार्यालय अध्यक्षों और अगले उच्च अधिकारियों से आईआर में निर्दिष्ट टिप्पणियों का अनुपालन करने और त्रुटियों को परिशोधित करने और उनके अनुपालन की सूचना महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को देने की अपेक्षा की जाती है।

नमूना लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर 1998-2017 की अवधि से संबंधित 10,625 आईआर में निर्दिष्ट 43,206 लेखापरीक्षा टिप्पणियों जो 31 मार्च 2017 को अधिशेष थी निम्नानुसार है:

तालिका-1.5: 31 मार्च 2017 की समाप्ति पर बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियां दर्शाते ब्यौरे

क्षेत्र का नाम	आदि शेष (1 अप्रैल 2016)		वर्ष 2016-17 के दौरान संयोजन		वर्ष 2016-17 के दौरान निपटाए गए		अंत शेष (31 मार्च 2017)	
	निरीक्षण रिपोर्टों की संख्या	पैराग्राफों की संख्या	निरीक्षण रिपोर्टों की संख्या	पैराग्राफों की संख्या	निरीक्षण रिपोर्टों की संख्या	पैराग्राफों की संख्या	निरीक्षण रिपोर्टों की संख्या	पैराग्राफों की संख्या
सामाजिक क्षेत्र (गैर-पीएसयू)	4,709	20,430	581	3,956	282	2,328	5,008	22,058
सामान्य क्षेत्र (गैर-पीएसयू)	1,572	4,973	103	422	131	656	1,544	4,739
आर्थिक क्षेत्र (गैर-पीएसयू)	4,076	16,550	177	1,638	180	1,779	4,073	16,409
कुल	**10,357**	**41,953**	**861**	**6,016**	**593**	**4,763**	**10,625**	**43,206**

पैराग्राफों का बड़ी संख्या में लंबन लेखापरीक्षा हेतु सरकारी विभागों की प्रतिक्रिया में कमी को दर्शाता है। सरकार को इस मामले पर विचार-विमर्श करना चाहिए और

विभागों से समय बाधित तरीके से लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर उचित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली को ठीक करना चाहिए।

1.10 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

1.10.1 स्वप्रेरणा से की गई कार्रवाई टिप्पणियां प्रस्तुत न करना

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में चर्चा किए गए मामलों पर कार्यकारी अधिकारी की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार (वित्त विभाग) ने इस पर ध्यान दिए बिना कि इन समितियों द्वारा चर्चा की गई थी या नहीं, लोक लेखा समिति (पीएसी)/ सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति (सीओपीयू) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाए गए सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर स्वप्रेरणा से की गई कार्रवाई टिप्पणियों (एटीएन) प्रस्तुत करने हेतु प्रशासनिक विभागों को जून 1997 में अनुदेश जारी किए थे। इन एटीएन को राज्य विधान मंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की तिथि से तीन माह की अवधि में महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा यथावत जांच के बाद इन समितियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है।

तथापि, यह देखा गया कि 2000-01 से 2015-16[4] तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सिविल अध्याय में दर्शाए गए 495 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में से 139 लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में स्व प्रेरणा से एटीएन 30 सितंबर 2017 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

1.10.2 पीएसी की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

पीएसी/ सीओपीयू द्वारा चर्चा किए गए लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में उनके द्वारा की गई टिप्पणियों/ सिफारिशों पर महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा यथावत जांच के बाद की गई कार्रवाई टिप्पणियों को इन टिप्पणियों/ सिफारिशों की तिथि से छह माह के अंदर इन समितियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है। वर्ष 2000-01 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सिविल अध्यायों में दर्शाए गए 495 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में से केवल 228 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर 30 सितंबर 2017 तक पीएसी द्वारा चर्चा की गई है। पीएसी द्वारा 185 लेखापरीक्षा पैराग्राफों से संबंधित सिफारिशों की गई है। तथापि, समितियों की सिफारिशों पर एटीएन 146 पैराग्राफों के संबंध में राज्य सरकार से लंबित हैं।

1.11 स्वायत्त निकायों द्वारा वार्षिक लेखाओं की प्रस्तुति न करना/ विलंब से प्रस्तुत करना

31 मार्च 2017 तक लेखापरीक्षा में 20 निकायों के कुल 606 वार्षिक लेखे प्रतीक्षित थे। सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 19(3) और 20(1) के अंतर्गत

[4] 4 जुलाई 2017 को जम्मू और कश्मीर राज्य विधान मंडल में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा लेखापरीक्षा हेतु अपेक्षित दस स्वायत्त निकायों ने भी वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए थे, जो निम्नानुसार है:

तालिका-1.6: स्वायत्त निकायों द्वारा लेखों का अप्रस्तुतिकरण

क्रम.सं.	निकाय/ प्राधिकरण का नाम	वर्ष संख्या में विलंब	लेखों की संख्या	2016-17 के दौरान अनुदान (₹ करोड़ में)
1.	लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी क्षेत्र विकास परिषद, लेह	1-22	22	265.03
2.	लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी क्षेत्र विकास परिषद, कारगिल	1-13	13	266.11
3.	प्रतिपूरक वनरोपण प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण	1-8	08	एनए[5]
4.	कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का शेर-ए-कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	1-6	06	154.00
5.	कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का शेर-ए-कश्मीर विश्वविद्यालय, जम्मू	1-2	02	70.50
6.	ईपीएफ बोर्ड, श्रीनगर	1-10	10	एनए
7.	जम्मू और कश्मीर राज्य आवासीय बोर्ड	1-4	04	एनए
8.	खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड	01	01	13.11
9.	भवन एवं अन्य निर्माण संबंधी मजदूर कल्याण बोर्ड	1-3	03	एनए
10.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए)	01	01	एनए
	कुल		**70**	**768.75**

लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी क्षेत्र विकास परिषद (एलएएचडीसी), लेह और एलएएचडीसी, कारगिल की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। एलएएचडीसी, लेह इसके आरंभ अर्थात 1995-96 से ही लेखापरीक्षा हेतु लेखे प्रस्तुत करने में विफल रहा है, यद्यपि परिषद को पर्याप्त राशि का भुगतान किया जा रहा है और वर्ष के अंत में अव्ययित शेष राज्य के लोक लेखा में गैर-व्यपगमन योग्य निधि में क्रेडिट रहता है। यही स्थिति एलएएचडीसी, कारगिल के संबंध में है जो 2004-05 में अस्तित्व में आई और लेखे इसके आरंभ से ही बकाया थे।

राज्य बजट से पर्याप्त निधि प्राप्त करने वाले इन निकायों द्वारा लेखाओं के अप्रस्तुतिकरण/ विलंब से प्रस्तुतिकरण गंभीर वित्तीय अनियमितता है जो वर्षों से जारी है। अननुपालन के मद्देनजर, इन सांविधिक निकायों के लेखापरीक्षित लेखे अभी

[5] अनुपलब्ध

तक राज्य विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए है जैसा कि उन संविधियों के अंतर्गत अपेक्षित है जिनके अंतर्गत इन निकायों का गठन किया गया था। इससे राज्य विधान मंडल ने उनके कार्यकलापों एवं वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन करने का अवसर खो दिया।

1.12 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाई गई समीक्षाओं और पैराग्राफों के वर्ष-वार ब्यौरे

पिछले दो वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाई गई निष्पादन समीक्षाओं और लेखापरीक्षा पैराग्राफों के धन मूल्य सहित वर्ष-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

तालिका-1.7: 2014-16 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाई गई निष्पादन समीक्षाओं और लेखापरीक्षा पैराग्राफों के ब्यौरे

वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा		लेखापरीक्षा पैराग्राफ		प्राप्त उत्तर	
	संख्या	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	संख्या	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	निष्पादन लेखापरीक्षा	ड्राफ्ट पैराग्राफ
2014-15	4	846.15	25	409.12	3	13
2015-16	3[6]	1072.58	23	414.50	1	14

इस प्रतिवेदन में ₹4,011.31 करोड़ धन मूल्य की चार निष्पादन लेखापरीक्षाएं एवं 27 लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल किए गए हैं। उत्तर जहां कही भी प्राप्त हुए हैं, उचित स्थान पर शामिल किए गए हैं।

[6] 04 जुलाई 2017 को जम्मू और कश्मीर राज्य विधान मंडल में प्रस्तुत 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु जम्मू और कश्मीर राज्य में आपदा प्रबंधन पर की गई निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल है